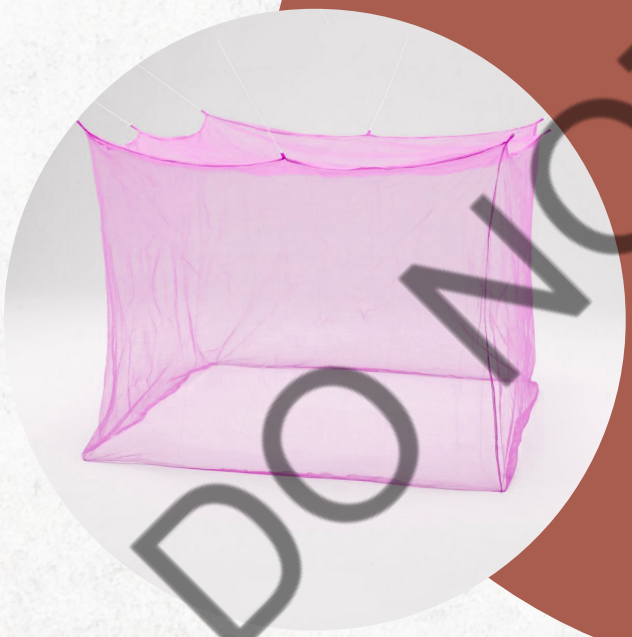

भारत में लंबे समय तक चलने वाले (दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल (LLIN) के लिए उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

भारत में लंबे समय तक चलने वाले (दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल (LLIN) के लिए उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

DO NOT PRINT

टॉक्सिक्स लिंक, नई दिल्ली
द्वारा तैयार किया गया

Toxics Link
for a toxics-free world

अस्वीकरण

मार्गदर्शन दस्तावेज में प्रदान की गई जानकारी भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों से एकत्रित की गई है। यह दस्तावेज़ 2021–2022 की अवधि के दौरान तैयार किया गया था। इस दस्तावेज़ का आशय, एक अनौपचारिक संदर्भ के रूप में उपयोग करने का है, और इस तरह, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों में संदर्भित किसी भी नियम की आवश्यकताओं को प्रतिस्थापित या विस्थापित नहीं करता है। उपरांत, जैसा कि "मार्गदर्शन," "के लिए," "चाहिए," और "कर सकते हैं" जैसी गैर-अनिवार्य भाषा के उपयोग से संकेत मिलता है, ये मार्गदर्शन दस्तावेज नीतियों की पहचान करते हैं और सुझाव प्रदान करते हैं और कोई नया कानूनी दायित्व या सीमाएं नहीं बनाते हैं, या किसी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, क्षेत्र या स्थानीय कानून के तहत दायित्वों को बढाता/ नहीं है।

DO NOT PRINT

विषय-सूची

विहंगावलोकन 2

अभिस्वीकृति 3

संक्षिप्त रूप 4

1. LLIN के उत्पादकों के लिए मार्गदर्शन 5

1.1 LLIN के उत्पादन के लिए नियामक आवश्यकताएँ 6
1.1.1 CIB&RC के पास LLIN का पंजीकरण 8
1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग 9
1.1.3 कच्चे माल और LLIN उत्पादों की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश 10
1.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन के लिए उत्पादकों की जिम्मेदारी 10
1.3 LLIN की तकनीकी विशिष्टता 10
1.4 उपचार, परिवहन और भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं 11

2. LLIN के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन 11

2.1 NVBDCP द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पंजीकृत LLIN का समावेश करना 13
2.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से पंजीकरण धारकों द्वारा LLIN के व्यापारीकरण के प्रावधान 14

3. LLIN के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन 15

3.1 वितरण के लिए LLIN के प्राप्तकर्ता 16
3.1.1 वितरण के लिए NVBDCP द्वारा खरीदे गए LLIN के प्राप्तकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन अर्थात राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक, रसद अधिकारियों सहित सेवा प्रदाता 16
3.1.2 राज्यों/जिलों द्वारा जनपद/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप स्वास्थ्य केंद्रों को LLIN आवंटन 17
3.1.3 समुदाय को LLIN वितरण 18
3.2 अंतिम उपयोगकर्ता/अंतिम लाभार्थी यानी लक्षित समुदाय 19

अनुलग्नक 20

सूचना संसाधन 24

आंकड़ों की सूची

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है 7
रेखा-चित्र 2. NVBDCP के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में LLIN को शामिल करने के लिए कदम 13
रेखा-चित्र 3. NVBDCP के तहत अंतिम उपयोगकर्ताओं को LLIN आपूर्ति और वितरण 15

DO NOT PRINT

विहंगावलोकन

भारत सरकार ने, मई 2002 में स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POP) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 13 जनवरी 2006 को इसकी पुष्टि की (मंजुर/प्रमाणित किया)। 2004 में स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू होने के बाद से, स्टॉकहोम कन्वेंशन में डाइ क्लोरो-डाईफेनाइल-ट्राई क्लोरोइथेन (एक रंग एवं गंधहीन पदार्थ जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है) (डीडीटी) को, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों में से एक के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, भारत और कुछ अन्य देशों ने, रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण में डीडीटी के उपयोग के लिए छूट की मांग की है। भारत डीडीटी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और देश में इसका उत्पादन अभी भी जारी है। सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम, HIL (इंडिया), विश्वभर में डीडीटी के लिए एकमात्र पंजीकृत उत्पादक (निर्माता) है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना (NIP) प्रस्तुत की। एनआईपी ने, अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक के रूप में, एनआईपी कार्यक्रम के पश्चात, डीडीटी के क्रमिक चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने एवं डीडीटी के विकल्पों के रुपमें, गैर-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी-विहिन) के विकास और प्रचार के लिये एक रूपरेखा तैयार की है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) का राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) महामारी विज्ञान के प्रभाव और कीटनाशक प्रतिरोध के आधार पर मलेरिया रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण के लिए डीडीटी का उपयोग कर रहा है। हालाँकि, जैसा कि भारत, डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, भारत सरकार NVBDCP के माध्यम से निम्नलिखित हस्तक्षेपों सहित एकीकृत रोगाणुवाहक (वेक्टर) कीट प्रबंधन (IVPM) पर आधारित अपनी वैकल्पिक रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण रणनीति को आगे बढ़ा रही है: जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन या सभी विधायी उपायों और वैकल्पिक दृष्टिकोणों के संयोजन में।

भारत सरकार वर्तमान में डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की स्टॉकहोम कन्वेंशन में प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों के साथ डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए "स्थायी कार्बनिक प्रदूषक रहित डीडीटी के विकल्पों का विकास और संवर्धन" के शीर्षक अंतर्गत, एक वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) 'जीईएफ परियोजना' लागू कर रही है। इस संदर्भ में, इन मार्गदर्शन दस्तावेजों को, उत्पादकों (निर्माताओं), पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए, डीडीटी विकल्पों के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है और इस प्रकार, डीडीटी से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है। इस मार्गदर्शन दस्तावेज का उद्देश्य, जैव और वानस्पतिक कीटनाशकों और अन्य स्थानीय रूप से उपयुक्त, कम लागत वाले और टिकाऊ विकल्प जैसे कि लंबे समय तक चलने वाली मच्छर दानी (LLIN), बीटी-आधारित उत्पाद (बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो मिट्टी में रहती है, यह प्रोटीन बनाता है जो खाने पर कुछ कीड़ों के लिए जहरीला होता है, लेकिन कुछ दूसरे कीड़ों के लिए नहीं) और नीम- आधारित उत्पाद की प्रशस्ति को आसान बनाना तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके, आजीविका बढ़ाने और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, डीडीटी पर निर्भरता को कम करने और अंतिम रूप से उन्मूलन करने के लिए पहला कदम है।

मार्गदर्शन दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी को, उपयुक्त प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, अन्य सरकारी स्रोतों और संबंधित हितधारकों से प्राप्त मूल्यवान इनपुट जैसे कि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC), आयुष मंत्रालय, छत्तीसगढ़, पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी; UNIDO और HIL (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायो-टेक (इंडिया) लिमिटेड और वेस्टरगार्ड जैसे निर्माता से प्राप्त किया गया है।

DO NOT PRINT

अभिस्वीकृति

डीडीटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने के संदर्भ में वेक्टर नियंत्रण हेतु वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए इस मार्गदर्शन दस्तावेज़ को तैयार करने का कार्य सौंपने के लिए टॉक्सिक्स लिंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। यह दस्तावेज़ वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका शीर्षक है "डीडीटी के विकल्प के रूप में गैर-पीओपी का विकास और प्रचार।"

हम भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, के प्रति इस परियोजना को क्रियान्वित करने में समर्थन देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (NVBDCP) की वेक्टर कंट्रोल एक्सपर्ट डॉ. कल्पना बरुआ को उनके तकनीकी सहयोग और राज्यों में हमारे दौरे को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। मार्गदर्शन दस्तावेज़ पर केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB और RC), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों के सुझाव और टिप्पणियों के लिए भी हम आभारी हैं।

हम छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार के स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रारंभिक हितधारक परामर्श के दौरान छत्तीसगढ़ और पंजाब के राज्य वीबीडीसीपी अधिकारियों और बस्तर, छत्तीसगढ़ और मयूरभंज, ओडिशा के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।

हम दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, अजय बायोटेक और वेस्टरगार्ड से प्राप्त अहम सुझावों को भी स्वीकार करते हैं। हितधारक परामर्श बैठकों के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, UNIDO, CSIR-NEERI, नागपुर और राज्य वीबीडीसीपी के अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों, राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अन्य वेक्टर नियंत्रण विशेषज्ञों के सुझावों के लिए भी हम आभारी हैं। हम डॉ. प्रदीप के. श्रीवास्तव (पूर्व संयुक्त निदेशक, NVBDCP) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी ज्ञान और समर्थन के लिए भी धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनसे दस्तावेजों को आकार देने और अंतिम रूप देने में मदद मिली।

हम टॉक्सिक्स लिंक में सहयोगियों को भी आभार प्रगट करते हैं जिन्होंने इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की।

DO NOT PRINT

संक्षिप्त रूप

BIS	भारतीय मानक ब्यूरो
CIB&RC	केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति
CMSS	केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था
DDT	डाइ क्लोरो- डाईफेनाइल- ट्राई क्लोरोइथेन
DPIIT	उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग
ICMR	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
IEC	सूचना, शिक्षा और संचार
IS	भारतीय मानक
LLIN	लंबे समय तक चलने वाला (दीर्घकालीक) कीटनाशक जाल
MOHFW	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
NCDC	रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र
NCVBDC	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र
NVBDCP	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
PPQS	पादप संरक्षण, संगरोध (पृथ्थकरण) और भंडारण
WHO	विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHOPES	विश्व स्वास्थ्य संगठन कीटनाशक मूल्यांकन योजना

DO NOT PRINT

भारत में लंबे समय तक चलने वाले(दीर्घकालिक) कीटनाशी जाल (LLIN) के उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज

LLIN रासायनिक कीटनाशकों के साथ लगाए जाते हैं और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए, भारत में, LLIN के उत्पादन और पंजीकरण के विभिन्न चरणों का पालन करने के लिए, उत्पादकों और पंजीकरण धारकों के लिए, **कीटनाशी नियम, 1968** और **कीटनाशी नियम, 1971** में, पर्याप्त सुरक्षा उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। इस मार्गदर्शन दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में अधिनियम और नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।

कीटनाशी नियम, 1968 का उद्देश्य कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करना है ताकि जानवरों पर, मनुष्यों और इससे जुड़े मामलों के लिए, जोखिम को रोका जा सके।

अधिनियम की धारा 9 में LLIN सहित सभी कीटनाशकों के पंजीकरण का विस्तृत प्रावधान हैं।

अधिनियम की धारा 10 में, निर्माताओं के लिए कीटनाशकों के पंजीकरण नहीं करवाने या कीटनाशक पंजीकरण को रद्द करने के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है।

धारा 13, कीटनाशकों के निर्माण और बिक्री के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति(लाइसेंस) के बारे में विवरण प्रदान करती है।

धारा 14, धारा 13 के तहत जारी किए गए विनिर्माण अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निरसन, निलंबन और संशोधन पर प्रावधान करती है।

धारा 17 कुछ कीटनाशकों के आयात और निर्माण का निषेध पर आधारित हैं।

उत्पादकों(निर्माताओं) और पंजीकरण धारकों के लिए **कीटनाशी नियम, 1971** के प्रासंगिक प्रावधान हैं;

अध्याय III कीटनाशकों के पंजीकरण पर (पंजीकरण समिति के निर्णय के खिलाफ पंजीकरण और अपील का तरीका)

अध्याय IV। कीटनाशकों के निर्माण, कीटनाशकों की बिक्री, अनुज्ञप्ति(लाइसेंस) की शर्तों आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करने पर

अध्याय V कीटनाशकों की पैकेजिंग और लेबलिंग पर

अध्याय VII रेल, सड़क या पानी द्वारा पारगमन में कीटनाशकों के परिवहन और भंडारण पर

अध्याय IX में विविध प्रावधान हैं, आवेदन के लिए सामान्य प्रपत्र और कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र, **कीटनाशी अधिनियम, 1968** की धारा के अंतर्गत अपील, कीटनाशकों के निर्माण की अनुज्ञप्ति की मंजुरी के लिए आवेदन, बेचने के लिए अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन, या कीटनाशकों की बिक्री या वितरण के लिए प्रदर्शन, आदि।

LLIN स्वयं पॉलीइथाइलीन जैसी प्लास्टिक सामग्री से बना है, और LLIN प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक किया जाता है। इसलिए, LLIN उत्पादकों, पंजीकरण धारकों और उपयोगकर्ताओं को **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना होगा। कुछ प्रमुख प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

धारा 6 शहरी स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम, नगर परिषद, आदि) की जिम्मेदारी निर्धारित करती है।

धारा 7 ग्राम पंचायत (ग्रामीण निकायों) की जिम्मेदारी निर्धारित करती है

धारा 9 उत्पादकों, आयातकों और छाप (ब्रांड) मालिकों की जिम्मेदारी निर्धारित करती है। यह अनुभाग, विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी के आधार पर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली पर विवरण प्रदान करता है।

DO NOT PRINT

1. LLIN के उत्पादकों के लिए मार्गदर्शन (निर्यातकों और आयातकों सहित)

भारत में, मलेरिया नियंत्रण के लिए डीडीटी (DDT) के संभावित पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के अंतर्गत, पहले से ही LLIN के उपयोग की अनुसंशा की गई है। वर्तमान में, भारत में LLIN के केवल कुछ ही उत्पादक हैं। हालांकि, नए LLIN उत्पादकों के साथ-साथ आयातकों और निर्यातकों के लिए एक उभरता हुआ अवसर है, जो भारत के रोगजनक नियंत्रण कार्यक्रम की संभावित मांग को देखते हुए, देश में डीडीटी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की उम्मीद कर रहा है। इसलिए, उत्पादकों, आयातकों और निर्यातकों के लिए यह आवश्यक है कि, वे भारत में LLIN के कारोबार को चलाने के लिए देश में आवश्यक नियामक आवश्यकताओं को जानें और समझें।

निर्माता भारत में अपने LLIN के स्वदेशी(स्थानीय) उत्पादन और उपयोग के लिए, LLIN निर्माण इकाई स्थापित कर सकते हैं। LLIN को भारत में उपयोग के लिए अन्य देशों से भी प्राप्त(आयात) किया जा सकता है। भारत में LLIN के उत्पादकों और LLIN के आयातकों दोनों को, अपने उत्पादों को, **कीटनाशी नियम, 1968** और **कीटनाशक नियम, 1971** के अंतर्गत, पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के पास पंजीकृत करना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि LLIN केवल निर्यात उद्देश्य के लिए है, तो निर्यातकों को भी CIB&RC के पास अपना LLIN पंजीकृत करना आवश्यक है।

LLIN के अनिवार्य सीआईबी औरआरसी पंजीकरण के अतिरिक्त, उत्पादकों को उत्पादन सुविधा के कार्यरत होने से पहले और बाद में विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। निर्माता एक साथ LLIN के पंजीकरण और एक नई उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक आवश्यक मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्यातकों और आयातकों को विशेष रूप से निर्यात और आयात उद्देश्यों के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक है।

1.1 भारत में LLIN के उत्पादन के लिए नियामक आवश्यकताएँ

- उत्पादकों को **कीटनाशी नियम, 1968** के प्रावधानों के अनुसार CIB&RC से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, LLIN के उत्पादन (या निर्माण इकाई) की स्थापना के लिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर आवश्यक मंजूरी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।
- उत्पादकों को पता होना चाहिए कि भारत में एक व्यवसाय स्थापित करने में विनिर्माण इकाई को उसके नाम से पंजीकृत करना और कार्यरत होने के पूर्व(पूर्व-कमीशनिंग) चरण (एक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन) और कार्यरत होने के पश्चात(पोस्ट-कमीशनिंग) चरण (पूर्व-उत्पादन चरण में अनुमोदन) पर नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। कार्यरत होने के पूर्व(पूर्व-कमीशनिंग) और कार्यरत होने के पश्चात(पोस्ट-कमीशनिंग) चरणों में शामिल नियामक आवश्यकताओं को योजनाबद्ध रूप से नीचे दिखाया गया है।

DO NOT PRINT

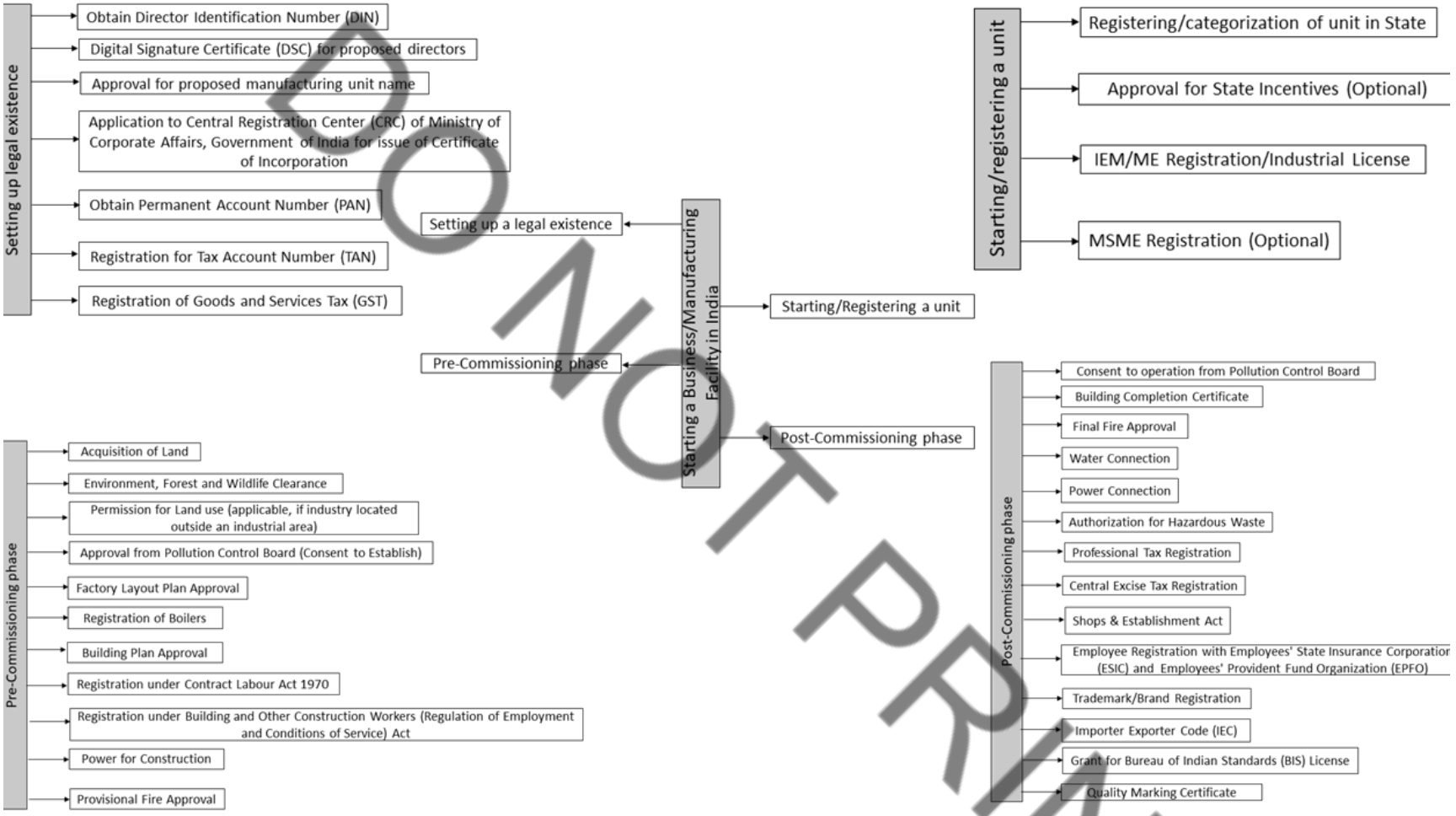

DO NOT PRINT

रेखा-चित्र 1. भारत में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए, निम्नलिखित नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी (इन्वेस्ट इंडिया) वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उपरोक्त चित्रात्मक रूप टॉक्सिक्स लिंक द्वारा तैयार किया गया है।]

[उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी (इन्वेस्ट इंडिया) वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उपरोक्त चित्रात्मक रूप टॉक्सिक्स लिंक द्वारा तैयार किया गया है।]

- निर्माता एक नई परियोजना की स्थापना के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) से विभिन्न अनुमोदन और मंजूरी की सूची प्राप्त कर सकते हैं। यह सूची **अनुबंध-I** में भी दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं में शामिल कदमों का विवरण इन्वेस्ट इंडिया और डीपीआईआईटी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- सभी उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों को अपने LLIN को, **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9** के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के पास पंजीकृत करना होगा।
- LLIN को CIB&RC द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत करने के पश्चात, उत्पादकों को संबंधित राज्य सरकारों (यानी, विनिर्माण अनुज्ञापन) से अनुमोदन लेना आवश्यक है, जहां LLIN की उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। उत्पादकों को, LLIN विनिर्माण अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए, संबंधित राज्यों के कृषि निदेशालय अथवा कुछ मामलों में स्थानीय जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक है, जहां उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। नियामक आवश्यकताओं के विषय में जानकारी, संबंधित राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकरण के कार्यालय से, या तो भौतिक रूप से या उनकी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। उत्पादकों को संबंधित राज्यों के अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) प्राधिकरण द्वारा विनिर्माण अनुज्ञा जारी करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कीटनाशकों के निर्माताओं द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम बुनियादी ढांचे (सुविधाओं) और उनके सुत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) के लिए दिशानिर्देशों का संदर्भ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, महाराष्ट्र राज्य में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए, निर्माता, महाराष्ट्र राज्य के लिए नियामक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा सेल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। निर्माता को यदि समान कीटनाशकों के निर्माण के लिए एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है तो वे PPQS वेबसाइट पर दिशानिर्देशों का भी संदर्भ ले सकते हैं।
- देश में बिक्री के उद्देश्य से आयात करने वाले LLIN के सभी आयातकों को CIB&RC से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इसी तरह, स्वदेशी रूप से निर्मित LLIN के निर्यातकों को भी, **कीटनाशी नियम, 1968** के प्रावधानों के अनुसार CIB&RC से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में, LLIN को **केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985** की अनुसूची में, निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। हालांकि, उत्पादकों को, मंजूरी के समय एक अधिकृत प्रमाण पत्र के माध्यम से यह साबित करना होगा कि, एड्स, टीबी और मलेरिया (GFTM)[1] से लड़ने के लिए वैश्विक कोष द्वारा वित्त पोषित, राष्ट्रीय
- वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) के अंतर्गत, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना (IMCP) -II के लिए माल की आवश्यकता है।

1.1.1 CIB&RC के पास LLIN का पंजीकरण

LLIN रासायनिक कीटनाशकों से युक्त होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं; इसलिए, **कीटनाशी नियम, 1968** के अनुसार CIB&RC के पास LLIN को पंजीकृत करना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के, पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय (PPQS) की केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी), कीटनाशकों के पंजीकरण से संबंधित तकनीकी मामलों पर, केंद्र और राज्य सरकारों को पंजीकरण और सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। **कीटनाशी नियम, 1968** के अंतर्गत, कीटनाशकों के पंजीकरण के लिए सामान्य दिशानिर्देश PPQS वेबसाइट पर दिए गए हैं। CIB&RC का संपर्क पता **अनुबंध-II** में दिया गया है।

1 General Exemption under the Central Excise Act, 1944 (https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/excise/cxt-2016-17-new/cx-gen-exem-61A-75.pdf;jsessionid=49CD7E26F43AC33C39F4210D61C99E80)

DO NOT PRINT

- LLIN सहित सभी कीटनाशकों को, निर्माता द्वारा **कीटनाशी नियम 1968** की **धारा 9** के अंतर्गत CIB&RC के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए, इससे पहले कि वे भारत में बिक्री और वितरण के लिए उत्पादित/आयात किए जा सकें या केवल निर्यात के लिए उत्पादित किए जा सकें।
- इसलिए, उत्पादकों को **कीटनाशी नियम, 1968** की **धारा 9** में उल्लिखित LLIN के पंजीकरण के प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है।
- यदि भारत में पहली बार कीटनाशकों की शुरुआत की गई है, तो पंजीकरण समिति, किसी भी जांच के लंबित रहने पर, **धारा 9(3बी)** के अंतर्गत दो साल की अवधि के लिए अनंतिम पंजीकरण प्रदान कर सकती है। एक बार अनंतिम पंजीकरण समाप्त होने के पश्चात, उत्पादकों(निर्माताओं) को CIB&RC के पास, **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9(3)** के अंतर्गत स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। PPQS वेबसाइट पर कीटनाशक पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया डेटा धारा 9(3) के अंतर्गत नियमित पंजीकरण प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है, तो उत्पादकों को **धारा 9(3बी)** के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण भी दिया जा सकता है। आवश्यक डेटा उत्पन्न करने के लिए अनंतिम पंजीकरण दो वर्षों के लिए दिया जाता है, और इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। **धारा 9(3)** के अंतर्गत LLIN के पंजीकरण पर नवीनतम दिशानिर्देश PPQS वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।
- वर्तमान में, धारा 9(4) के अंतर्गत, LLIN के पंजीकरण की अनुमति नहीं है, अर्थात "मी टु (Me too)" पंजीकरण
- LLIN के लिए उपयोग किए जाने वाले नए कीटनाशकों के लिए उत्पादकों को पहले **कीटनाशी नियम, 1968** की अनुसूची में, रसायन को शामिल करने के लिए आवेदन करना होगा। **कीटनाशी नियम, 1968** की अनुसूची में नए रसायनों को शामिल करने के दिशा-निर्देशों को, PPQS पर देखा जा सकता है।
- LLIN के पंजीकरण पर आगे के मार्गदर्शन के लिए उत्पादकों/आयातकों को **कीटनाशी नियम, 1971** के अध्याय III के तहत नियमों का संदर्भ लेना आवश्यक है।
- किसी भी कीटनाशक पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के पश्चात, यह आवेदन और डेटा पूर्णता के लिए प्रारंभिक समीक्षा से गुजरता है। उत्पादकों को अपने पंजीकरण आवेदन को मजबूत करने के लिए, यथास्थिति, धारा 9(3) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए, PPQS वेबसाइट पर प्रदर्शित चेकलिस्ट का संदर्भ लेना चाहिए।
- आम तौर पर, CIB&RC को आवेदन जमा करने के पश्चात, पंजीकरण प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगते हैं (डेटा की कमी के आधार पर, यदि कोई हो)। **कीटनाशी नियम, 1968 की धारा 9(3)** के अनुसार कीटनाशकों के पंजीकरण की समय-सीमा के बारे में विवरण **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।
- एक बार जब उत्पादकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो निर्माता पंजीकरण धारक बन जाता है, और उसे निर्धारित शर्तों का पालन करना होता है, जिसके लिए LLIN पंजीकरण प्रदान किया गया था। CIB&RC द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण, संरचना, आत्मजीवन(शेल्फ लाइफ), लेबल, खुराक, उपयोग, सुरक्षा सावधानियों आदि की शर्तों को निर्दिष्ट करता है।

1.1.2 लेबलिंग और पैकेजिंग

उत्पादकों (निर्माताओं) को अपने उत्पाद की लेबलिंग और पैकेजिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, **कीटनाशक नियम, 1971 के अध्याय V** का संदर्भ लेना चाहिए। लेबलिंग और पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, और निर्माता को CIB&RC द्वारा अनुमोदित और उत्पाद पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ संलग्न लेबल और पत्रक (लीफ्लेट) का पालन करना आवश्यक है। लेबल और पत्रक (लीफ्लेट) को CIB&RC के दिशानिर्देशों के अनुसार अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित करना आवश्यक है और इसे बेचने या वितरित करने से पहले अंतिम उत्पादों वाले पैकेज से चिपकाया या संलग्न किया जाना चाहिए।

DO NOT PRINT

अंतरराष्ट्रीय बोली में भाग लेने और एलएलआईएन का निर्यात करने में रुचि रखने वाले उत्पादकों को, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है और डब्ल्यूएचओ वेबसाइट के प्रकाशन पृष्ठ पर अच्छी लेबलिंग और वे पैकेजिंग प्रथाओं के लिए डब्ल्यूएचओ की अनुसंशाओं का संदर्भ ले सकते हैं।

विशिष्ट संसाधन:
कीटनाशकों के लिए अच्छे लेबलिंग अभ्यास पर दिशानिर्देश। कीटनाशक प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता

लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जालों (LLINs) के लिए पैकेजिंग के अच्छे प्रबंधन की सिफारिश

1.1.3 कच्चे माल और LLIN उत्पादों की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश

उत्पादकों को LLIN के उत्पादन के दौरान कच्चे माल और उत्पादों की वही गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, जो उनके उत्पादों के पंजीकरण के समय सीआईबी औरआरसी को प्रस्तुत की गई थी। CIB&RC द्वारा जारी संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, उत्पादकों को सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावकारिता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।

जो निर्माता अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने एलएलआईएन को निर्यात और बेचने का इरादा रखते हैं, वे गुणवत्ता नियंत्रण के लिए WHO के दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।

कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश। कीटनाशकों के वितरण और उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता

एलएलआईएन सहित रोगवाहक (वेक्टर) नियंत्रण उत्पाद, जो डब्ल्यूएचओ की पूर्व-योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें डब्ल्यूएचओ की रोगवाहक नियंत्रण उत्पादों की सूची में जोड़े जाते हैं। इन रोगवाहक नियंत्रण उत्पादों को डब्ल्यूएचओ पूर्व योग्य(प्रीक्वालिफाइड(पहले डब्ल्यूएचओ कीटनाशक मूल्यांकन योजना (WHOPES) के रूप में जाना जाता था) के रूप में जाना जाता है।

- निर्माता डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर रोगवाहक (नियंत्रण उत्पाद पूर्व योग्य (प्रीक्वालिफाइड) पृष्ठ देख सकते हैं।
- डब्ल्यूएचओ के पूर्व-योग्य रोगवाहक नियंत्रण उत्पादों की सूची और उनकी वर्तमान स्थिति डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का पालन करने के लिए उत्पादकों की जिम्मेदारी

LLIN उत्पादक(निर्माता), वर्तमान में, उत्पादों के साथ-साथ LLIN की पैकेजिंग में प्लास्टिक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, LLIN उत्पादकों को समय-समय पर संशोधित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**[2] की **धारा 9** के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उनके उत्पाद और पैकेजिंग सामग्री प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करती है। उन्हें **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016** के

2 **Plastic Waste Management Rules, 2016** (https://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/168620.pdf)

DO NOT PRINT

प्रावधानों के अनुसार अपने उत्पादों के कारण उत्पन्न, प्लास्टिक कचरे को वापस एकत्र करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है।

1.3 LLIN के तकनीकी विनिर्देश का अनुपालन

यह LLIN उत्पाद और पैकेजिंग तैयार और सार्वजनिक किए जाने के समय, निर्माता द्वारा CIB&RC को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए विनिर्देशों एवं भारतीय मानक (IS) विनिर्देशों और संशोधनों के अनुरूप होने चाहिए। उत्पादकों (निर्माता) को अपने उत्पाद के लिए आईएस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से संपर्क करना होता है। विनिर्देश में संरचना, सक्रिय संघटक, खुराक और सामर्थ्य, कपड़े का वजन, डेनियर(कपडें की गुणवत्ता के लिए माप की एक इकाई), आकार और नेट का आयाम आदि शामिल हैं। पंजीकरण के प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट LLIN की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह मापदंड महत्वपूर्ण हैं। निर्माता बीआईएस वेबसाइट से विवरण प्राप्त कर सकते हैं। बीआईएस का पता और संपर्क विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

1.4 उपचार, परिवहन और भंडारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं

- उत्पादकों(निर्माताओं) को, LLIN उत्पादन की स्थापित प्रक्रिया के बारे में जानना जरूरी है, जिसमें, एक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन स्तर पर कीटनाशक उपचार शामिल है, जो कीटनाशक को फाइबर में बांधता है या शामिल करता है ताकि क्षेत्र में उपयोग की अनुसंशित शर्त के अंतर्गत, कम से कम 3 वर्षों के लिए रोगवाहक (वेक्टर) मच्छरों के खिलाफ इसकी जैविक प्रभावकारिता बनाए रखी जा सके। उत्पादकों को **कीटनाशक नियम, 1971**[3] के अनुरूप कीटनाशकों या कीटनाशक उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
- LLIN का परिवहन सड़क और रेलवे, दोनों, के माध्यम से किया जाता है। कीटनाशकों के सुरक्षित परिवहन के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों, अच्छी तरह से लेबल वाले वाहनों, परिवहन के दौरान एवं वितरण के समय, पैकेजिंग की गुणवत्ता और कीटनाशक भार की जाँच करना आवश्यक है। निर्माताओं/उत्पादकों द्वारा कारखाने से गंतव्य (डिलीवरी) स्थान तक, एक व्यवस्थित ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है, साथ ही परिवहन के दौरान छलकाव (फैल) और रिसाव की सूचना (रिपोर्ट) देने के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए।
- LLIN के परिवहन के लिए दिशानिर्देश भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए परिचालन नियमावली (ओपरेशन मैनुअल) 2016[4] में प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, जब LLIN को रेलवे द्वारा ले जाया जाता है, तो रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रेड टैरिफ (जिसमें विस्फोटकों, खतरनाक माल को रेलवे द्वारा ढोने के नियम एवं दरों का उल्लेख किया गया है) में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कीटनाशकों वाले संकुल (पैकेजों) को पैक करना आवश्यक है।
- सभी कीटनाशकों का परिवहन या भंडारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि यह खाद्य पदार्थों या पशु आहार के सीधे संपर्क में न आएं। कीटनाशकों वाले संकुल (पैकेज) को अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान से दूर अलग कमरे या परिसर में संग्रहित किया जाना चाहिए। विवरण के लिए, उत्पादक **कीटनाशक नियम, 1971** के अध्याय VII का संदर्भ ले सकते हैं।

DO NOT PRINT

3 **Insecticide Rules, 1971** (http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf)
4 Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016 (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/5232542721532941542.pdf)

2. LLIN के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन

कीटनाशी नियम, 1968 और **कीटनाशी नियम, 1971** के प्रावधानों के अनुसार सभी LLIN को CIB&RC के साथ पंजीकृत होना चाहिए। यह अनिवार्य पंजीकरण, भारत में LLIN के आयातकों के साथ-साथ स्वदेशी(स्थानीय) बिक्री और/अथवा निर्यात के लिए भी सभी उत्पादकों पर लागू होता है। प्रत्येक अलग LLIN के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों को, अलग-अलग LLIN उत्पादों के लिए एक अलग-अलग आवेदन पत्रक के माध्यम से आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात, उत्पादकों/आयातकों/निर्यातकों को LLIN के पंजीकरण धारक के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल हैं, और सामान्य भाषा में, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कहलाते हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण, रोकथाम और संचारी तथा गैर-संचारी रोगों के नियंत्रण के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायक और जिम्मेदार है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP) देश में सबसे व्यापक और बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों में से एक है और मलेरिया और अन्य वेक्टरजनित रोगों, जैसे फाइलेरिया, काला-अज़ार, डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिसटिस की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NCVBDC) का एनवीबीडीसीपी निदेशालय इन वेक्टरजनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए बुनियादी संस्था (नोडल एजेंसी) है।

भारत में, वर्तमान में LLIN को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति है, और खुदरा बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं है। इसलिए, CIB&RC से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात, LLIN के पंजीकरण धारकों को, अपने LLIN को सार्वजनिक स्वास्थ्य उपयोग के लिए, शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रोगवाहक(वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (NVBDC) के निदेशालय से संपर्क करना आवश्यक है। LLIN के पंजीकरण धारक अपने उत्पादों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपयोग के लिए अनुमोदित करने में सक्षम होने के पश्चात ही, वे वाणिज्यिक(व्यापारिक) बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। LLIN खरीद प्रक्रिया को केंद्रीय खरीद एजेंसी, यानी केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था(सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (CMSS)) द्वारा एमओएचऔर एफडब्ल्यू, भारत सरकार के अंतर्गत वाणिज्यिक बोली के माध्यम से केंद्रीकृत और प्रबंधित की जाती है।

इसके अतिरिक्त भी, LLIN रक्षा क्षेत्र, पुलिस विभागों और गृह मंत्रालय, भारत के विभिन्न विभागों द्वारा खरीदे जाते हैं और पंजीकरण धारकों को LLIN की आपूर्ति के लिए, संबंधित सरकारी निकायों की खरीद प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है।

सीएमएसएस और एनसीवीबीडीसी के संपर्क विवरण और पते **अनुबंध-V** में दिए गए हैं।

DO NOT PRINT

2.1 NVBDCP द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पंजीकृत LLIN को शामिल करना

NVBDCP CIB&RC द्वारा उत्पाद के पंजीकरण/अपंजीकरण के आधार पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग के लिए नए LLIN की शुरूआत और/या LLIN को हटाने पर विचार करता है।

NVBDCP के अंतर्गत किसी भी नए पंजीकृत LLIN को समाविष्ट करने के लिए, ICMR, NVBDCP और NCDC[5] द्वारा विकसित वेक्टर नियंत्रण में उपयोग के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों के समान मूल्यांकन के लिए संशोधित सामान्य शिष्टाचार(प्रोटोकॉल) के अनुसार LLIN का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यहां तक कि LLIN सहित डब्ल्यूएचओ पूर्व-योग्य कीटनाशकों को, NVBDCP द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उपयोग के लिए, बड़े पैमाने पर और बहु-केंद्रित क्षेत्र परीक्षण/मूल्यांकन के पश्चात ही, भारतीय परिस्थितियों में प्रभावकारिता और उपयुक्तता के लिए अनुमोदित किया जाता है।

LLIN के पंजीकरण धारकों को, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में उनके LLIN को समाविष्ट करने के लिए, अनुमोदित लेबल दावे के साथ CIB&RC द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र और NVBDCP को चरण- I, चरण- II और चरण- III परीक्षण विवरण सहित पूरे मामले से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह(डोजियर) जमा करना आवश्यक है। राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उनके उपयोग के लिए LLIN अनुमोदन की प्रक्रिया में शामिल कदम NVBDCP वेबसाइट पर नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया में दिए गए हैं और नीचे दिए गए आलेख में दिखाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) कार्यक्रम में नए LLIN को शामिल करने की मंजूरी देने वाला अंतिम प्राधिकरण है।

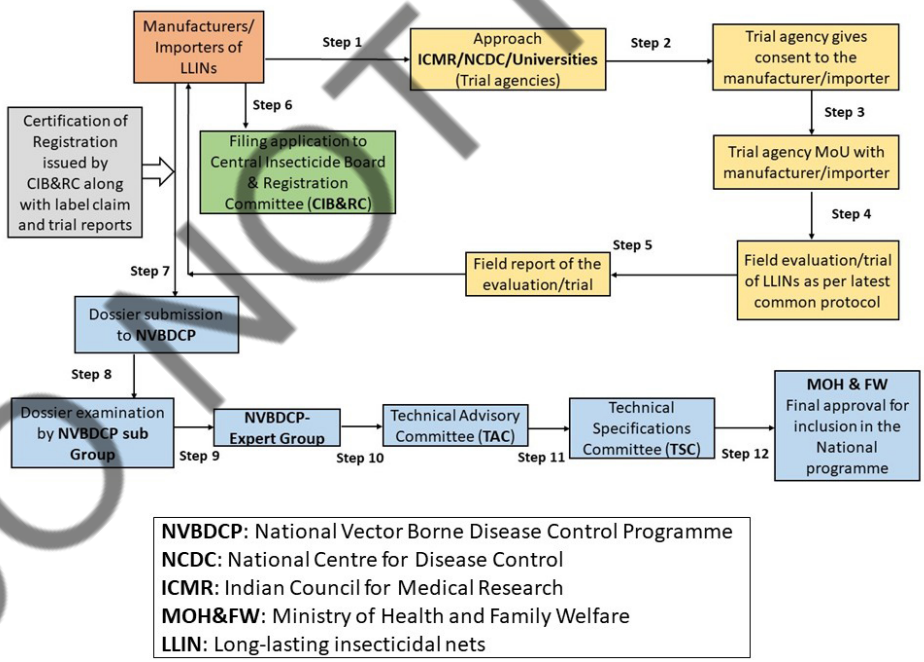

रेखा-चित्र 2. NVBDCP के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में LLIN को शामिल करने के लिए कदम
(राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बायोलार्वानाशी (लार्विसाइड्स) सहित, सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों की शुरूआत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में प्रदान किए गए मूल प्रवाह चार्ट के आधार पर उपरोक्त आंकड़े को फिर से तैयार किया गया है।[6])

5 Revised Common Protocol for Uniform Evaluation of Public Health Pesticides including Bio-larvicides for use in Vector Control (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/Revised-Common-Protocol-2014.pdf)

6 Standard Operating Procedure for Introduction of Public Health Pesticides Including Biolarvicides in the National Vector Borne Disease Control Programme (https://nvbdcp.gov.in/Doc/Final%20Interim%20Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20%20for%20introduction%20of%20public%20health%20pesticides%20including%20biolarvicides%20in%20the%20NVBDCP.pdf)

DO NOT PRINT

2.2 सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से पंजीकरण धारकों द्वारा LLIN का व्यावसायीकरण (व्यापारीकरण)

भारत में LLIN की खरीद MoHFW, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था(CMSS) के माध्यम से की जाती है। पंजीकरण धारकों को LLIN खरीद के लिए आवश्यक बोली प्रक्रिया को समझने की जरूरत है यदि उनके उत्पाद को कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। उन्हें खरीद अभिकरण(एजेंसी) द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पंजीकरण धारक बोली की आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करने के पश्चात बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। LLIN बोली दस्तावेज का एक नमूना सीएमएसएस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

सफल बोलीदाताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है और वे **भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872**[7] का पालन करेंगे। मानक बोली दस्तावेज में अन्य आवश्यक रूपों के अतिरिक्त, अनुबंध की सामान्य शर्त (GCC) और अनुबंध की विशेष शर्त (SCC) समाविष्ट हैं। बोली दस्तावेज में दिए गए तकनीकी मानकों/विनिर्देशों का बोलीदाताओं द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्ति करने से पहले LLIN पर निर्माण और समाप्ति तिथियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

DO NOT PRINT

7 Indian Contract Act, 1872 (https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2187?locale=en)

3. LLIN के उपयोगकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन

भारत में, वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सभी कार्यान्वयन दिशानिर्देश, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें बीटी-बायोलार्वानाशी(लार्विसाइड्स) के वितरण और उपयोग के दिशा-निर्देश शामिल हैं। हालांकि, भारत में स्वास्थ्य एक राज्य का विषय होने के नाते, लक्षित समुदायों को LLIN के वितरण सहित कार्यक्रम गतिविधियों का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। दिशानिर्देशों में रोगजनकनियंत्रण के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया, रोगजनक नियंत्रण कार्यक्रम में उपयोग के लिए अनुमोदित उत्पादों की सूची, उनके तकनीकी विनिर्देश और LLIN सहित उत्पादों की तकनीकी आवश्यकताओं की गणना के लिए मानदंड शामिल हैं।

राज्य सरकारों को सालाना भारत सरकार को अपनी LLIN आवश्यकताओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवश्यकताओं के आधार पर, भारत सरकार अधिकृत खरीद संस्था यानी CMSS वाणिज्यिक बोली के माध्यम से राज्यों या उनके नामित परेषितियों(माल पाने वाले) को, LLIN की प्राप्ति और आपूर्ति करती है। प्राप्त LLIN को आगे नामित परेषितियों(माल पाने वाले) द्वारा लक्षित समुदायों को वितरित किया जाता है जो अंतिम लाभार्थी हैं।

इसलिए, प्रमुख उपयोगकर्ताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. वितरण के लिए उत्पादों के प्राप्तकर्ता, जैसे कि,तकनीकी, प्रशासनिक, रसद अधिकारियों सहित, राज्य, जिले, जनपद/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (प्रेषित) सेवा प्रदाता, और
2. समुदाय जो NVBDCP के अंतर्गत, नियंत्रण उपायों के अंतिम लाभार्थी हैं (अंतिम उपयोगकर्ता या अंतिम लाभार्थी)

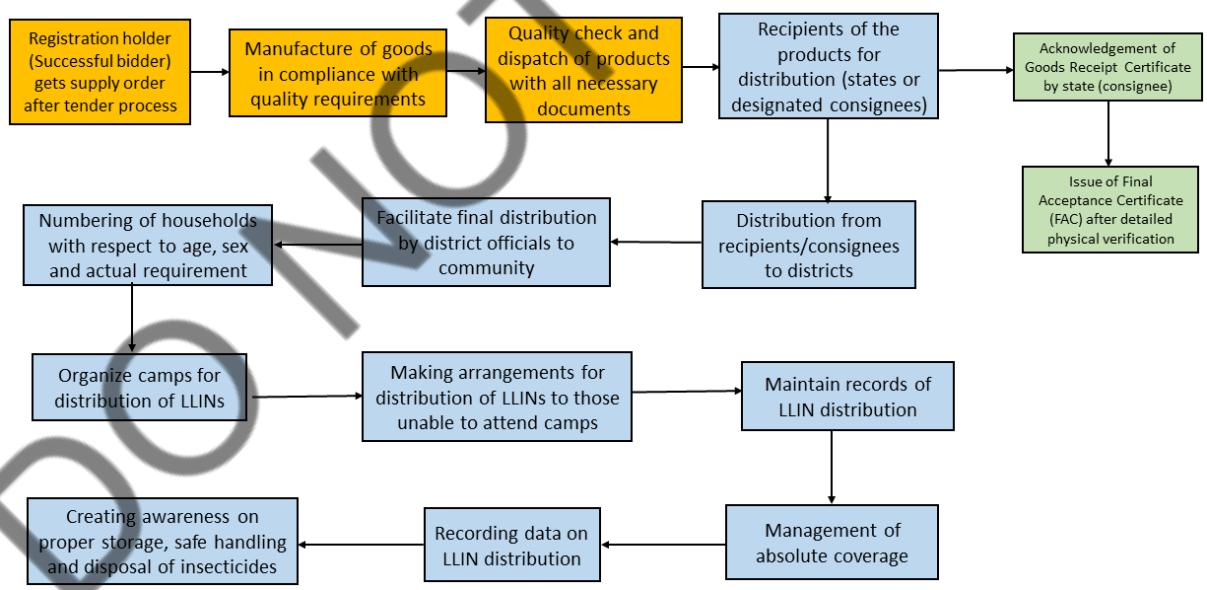

रेखा-चित्र 3. NVBDCP के तहत अंतिम उपयोगकर्ताओं को LLIN आपूर्ति और वितरण

(यह रेखाचीत्र टॉक्सिक्स लिंक द्वारा भारत में 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए परिचालन नियमावली (ऑपरेशन मैनुअल) में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है[8])

DO NOT PRINT

8 Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016 (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/5232542721532941542.pdf)

3.1 वितरण के लिए LLIN के प्राप्तकर्ता

3.1.1 वितरण के लिए NVBDCP द्वारा खरीदे गए, LLIN के प्राप्तकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन अर्थात राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी, प्रशासनिक, रसद अधिकारियों सहित सेवा प्रदाता (प्रेषिती)

- नामित राज्य सरकार के अधिकारियों को, संवेदनशील आबादी का आकलन करने और समय-समय पर जारी NVBDCP दिशानिर्देशों और सलाह के आधार पर अपनी LLIN आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। वर्तमान में, NVBDCP दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.8 व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदंड 1 LLIN है। राज्य के अधिकारियों को, अपने संबंधित जिलों में रोगजनक नियंत्रण कार्यक्रम में अनुमोदित LLIN के विभिन्न आकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, नामित जिलों के अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न मांग को उचित औचित्य के साथ राज्य की वार्षिक कार्य योजना में पेश करना आवश्यक है जिसे, भारत सरकार को अनुमोदन के लिए हर वर्ष NVBDCP के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।

- आम तौर पर, LLIN को केंद्रीय खरीद संस्था(एजेंसी) के माध्यम से, केंद्रीय रूप से खरीदा जाता है और राज्यों को आपूर्ति की जाती है। इसलिए, राज्यों को, राज्यों के भीतर माल पाने वालो (कंसाइनी (ओं)) की, पूरे पते और संपर्क विवरण के साथ एक सूची तैयार करनी चाहिए और ईमेल और डाक दोनों द्वारा केंद्रीय खरीद संस्था (एजेंसी) को भेजना चाहिए। केंद्रीय खरीद संस्था(एजेंसी) द्वारा सफल बोलीदाताओं (आपूर्तिकर्ताओं) को, आपूर्ति आदेश की अधिसूचना के पश्चात, राज्यों को अपने सभी संबंधित मालवाहकों को, आपूर्तिकर्ता से प्राप्त LLIN का भंडार करने के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान की व्यवस्था करने के लिए सूचित करना चाहिए। LLIN वितरण पर दिशा-निर्देशों के लिए राज्य भारत में मलेरिया उन्मूलन 2016 के लिए परिचालन नियमावली (ओपरेशन मैनुअल) का भी संदर्भ ले सकते हैं।

- LLIN का पर्याप्त भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, राज्य को LLIN भंडारण की स्थिति की नियमित निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है और उपलब्ध संसाधनों के भीतर उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए भंडारण स्थान की उचित सुरक्षा और निगरानी आवश्यक है। एक समर्पित बुनियादी (नोडल) व्यक्ति को विशेष रूप से भंडारण के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाना है। जहां LLIN का भंडारण किया जा रहा है वहाँ कृंतक प्राणीओं(चूहा गिलहरी आदि कतरने वाले जानवर) उपद्रव से बचने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

- सफल बोलीदाता (आपूर्तिकर्ता) को दिए गए आदेश की एक प्रति (कॉपी), परेषितियों (राज्य) को, सड़क अनुमति(परमिट) जारी करने और वितरण से पहले भंडारण के लिए, जगह की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी की जाती है। आमतौर पर, आपूर्ति निविदा नियमों और शर्तों के अनुसार, और सड़क अनुमति (परमिट) प्राप्त होने पर पूर्व-प्रेषण औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात, आपूर्तिकर्ता द्वारा शुरू की जाती है।

- नामित राज्य अधिकारियों (प्रेषिती) को, माल की प्राप्ति की पावती देनी होगी एवं मानक प्रारूप में, आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ खरीद संस्था (एजेंसी) को, परेषिती स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करना होगा। माल और दस्तावेज़ विसंगतियों के किसी भी विलंब शुल्क से बचने के लिए परेषितियों को सभी व्यवस्था करनी चाहिए।

- परेषिती द्वारा, तकनीकी विशिष्टताओं में दिए गए मानकों के अनुरूप मात्रा, विनिर्देशों, खेप (बैच) संख्या, समाप्ति तिथि, वितरण कार्यक्रम, और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण परिणामों के प्रमाण पत्र के विस्तृत भौतिक सत्यापन के पश्चात, अंतिम स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है। प्राप्त माल का विवरण एक महीने या निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन विवरण (रिपोर्ट) के साथ भंडार पंजिका (स्टॉक रजिस्टर) में दर्ज किया जाना चाहिए।

DO NOT PRINT

वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जांच सूची (चेकलिस्ट), भौतिक सत्यापन के लिए जांच सूची, परेषिती (कंसाइनी) स्वीकृति प्रमाण पत्र के लिए मानक प्रारूप, अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र, और वस्तुओं के भंडारण के लिए दिशानिर्देश, भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए परिचालन नियमावली (ऑपरेशन मैनुअल) 2016 के अनुलग्नक 23, पृष्ठ 230-236 में दिए गए हैं।[9]

3.1.2 राज्य/जिले द्वारा जनपद/पीएचसी/उप केंद्रों को LLIN आवंटन

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, समय-समय पर जारी NVBDCP सलाह के अनुरूप, राज्य-विशिष्ट LLIN वितरण योजनाओं का विकास और पालन करना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को LLIN वितरण संबंधी गतिविधियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए, जिलों को परामर्श दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।
- राज्य अपनी आवश्यकता और जिला कार्य योजना के अनुसार, जिले के लिए आवंटन करेगा। लक्षित समुदायों को LLIN की बेहतर योजना और वितरण के लिए, जिलों को विभिन्न जनपदों (उप जिलों), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), पीएचसी को, उप स्वास्थ्य केंद्रों (HSCs) में तथा HSC को गांवों में विभाजित किया गया है। यदि 3 से 4 जिलों के समूह (क्लस्टर) लिए एक जिला नामित है, तो प्रत्येक जिले के लिए, तदनुसार वित्तीय योजना और व्यवस्था की जानी चाहिए।
- संबंधित जिले में वितरण प्रक्रिया से पहले, सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट) के अंतर्गत एक जिला कार्यदल (टास्क फोर्स) की बैठक आयोजित करना आवश्यक है, जिसमें क्रमिक(लाइन) विभाग, विशेष रूप से कानून प्रवर्तन संस्थाओं (एजेंसियों) की भागीदारी होती है।
- नामित अधिकारी, राज्य/जिले द्वारा आपूर्ति किए गए LLIN को प्राप्त करने और संग्रहीत करने और LLIN वितरण के लिए, चयनित विभिन्न उप-केंद्रों/जनपदों को LLIN भंडार (स्टॉक) की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- राज्य, हर तिमाही में जिलों से प्राप्त आंकड़ों को संकलित करके NVBDCP निदेशालय को जमा कर भंडार स्थिति विवरण भरें। उन्हें त्रैमासिक खपत प्रमाण पत्र और अंत में वार्षिक खपत प्रमाण पत्र भी जारी करना चाहिए जिसमें खपत, वर्तमान भंडार, आगे की आवश्यकताओं आदि जैसे विवरण शामिल हों।
- राज्य/जिला प्राधिकरण यदि आवश्यक समझे तो एक स्वतंत्र, अधिकृत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा, राज्य प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता की यादृच्छिक (रेंडम) ढंग से जांच कर सकता है और परीक्षण रिपोर्ट का दस्तावेजीकरण कर सकता है।

राज्य कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की जानकारी PPQS वेबसाइट पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण के लिए अनुमत जीएलपी/एनएबीएल प्रयोगशालाओं की एक सूची भी PPQS वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो राज्य को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत NVBDCP को सूचित करना चाहिए।

- नामित माल पानेवालो(परेषितियो) को, राज्य/जिलों के भीतर माल के आगमन, खेप(बैच) संख्या, विशिष्टताओं की जानकारी होनी चाहिए और माल की प्राप्ति की व्यवस्था करनी चाहिए।
- राज्य को समय-समय पर संशोधित प्लास्टिक **अपशिष्ट नियम, 2016** के प्रावधानों के अनुरूप, LLIN और LLIN प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के सुरक्षित निपटान पर, जागरूक रहना चाहिए और एक योजना विकसित करनी चाहिए। LLIN और LLIN पैकेजिंग सामग्री के निपटान के लिए, राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला/जनपद स्तर के अधिकारी को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

DO NOT PRINT

9 Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016 (https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/5232542721532941542.pdf)

3.1.3 समुदाय में LLIN वितरण

- समुदाय में LLIN के वितरण की, विस्तृत वितरण योजना और रणनीति के साथ सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। वितरण दिशानिर्देश, राज्य द्वारा तैयार किया जाना चाहिए और जिलों को सूचित किया जाना चाहिए।
- संबंधित जनपद(ब्लॉक) स्तर के अधिकारियों को, LLIN वितरण से पहले, गांवों की सूची बनाने और तेजी से सर्वेक्षण करना आवश्यक है। LLIN आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए, गाँव के प्रत्येक घर को आयु और लिंग के साथ क्रमांकित और सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। कमी की स्थिति में भंडार (बफर स्टॉक) रखना वांछनीय है। LLIN को अधिकारियों द्वारा माल की प्राप्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके समुदाय को वितरित किया जाना चाहिए। प्रेषितियों से अंतिम उपयोगकर्ताओं तक, परिवहन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- लक्षित गांवों में रहने वाले सभी सदस्यों को, LLIN नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। वितरण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से या सामुदायिक स्तर के शिविरों में किया जा सकता है। वितरण के दौरान, अधिकारी समुदाय-आधारित संगठनों (CBO), गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और आस्था-आधारित संगठनों (FBO) से समर्थन मांग सकते हैं। समुदाय में LLIN का सुचारू वितरण करने के लिए, स्थानीय नेताओं, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं, या प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल होना चाहिए।

एलएलआईएन के वितरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एलएलआईएन के वितरण के लिए शिविर आयोजित करें
- निर्धारित प्रारूपों का उपयोग करके एलएलआईएन वितरण का रिकॉर्ड रखें
- जो शिविरों में भाग लेने में असमर्थ हैं उन्हें वितरण करने की योजना बनाएं

- LLIN के वितरण की तारीख की सूचना, समुदाय के सदस्यों और अन्य लोगों को, वितरण से कम से कम 7 दिन पहले दी जानी चहिए। LLIN वितरण प्रक्रिया का उद्घाटन करने के लिए गाँव के किसी सम्मानित व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है।
- राज्य सरकार को, LLIN को समुदाय तक पहुंचने के लिए एवं समुदाय द्वारा उसका उचित तरीके से स्वीकार करने तथा उपयोग करने के लिए, वितरण से पहले और बाद में एक प्रभावी संचार रणनीति की योजना बनानी चाहिए। राज्य सरकार को, LLIN के सही उपयोग को दर्शाने वाली स्थानीय भाषा में उचित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री विकसित करनी चाहिए। कमजोर समूहों जैसे आदिवासी आबादी तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- आवासीय विद्यालयों को भी LLIN वितरित किए जा रहे हैं। जिला स्तर के अधिकारी, संबंधित स्कूल अधिकारियों को LLIN के उचित भंडारण और उपयोग के बारे में जागरूक करें ताकि वे इसके बारे में बच्चों में जागरूकता पैदा कर सकें।
- समुदाय के सदस्यों में LLIN वितरण में शामिल लोगों को, निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:
  - उन्हें LLIN को सही ढंग से लटकाने की विधि के साथ-साथ वितरण के दौरान चार छड़ियों से बांधकर बाहर सोने के लिए उनका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसका प्रदर्शन करना चाहिए।
  - LLIN के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्थानीय भाषा का उपयोग करना चाहिए
  - उन्हें, समुदाय के सदस्यों द्वारा LLIN के प्रभावी उपयोग की जांच करने तथा अन्य उद्देश्यों (जैसे मछली पकड़ने के लिए LLIN का दुरुपयोग) के लिए उनका उपयोग करने से बचने के लिए समय-समय पर दौरा करना चाहिए।
  - उन्हें LLIN की धुलाई और LLIN का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में उचित निर्देश प्रदान करने चाहिए

DO NOT PRINT

पूर्ण व्याप्ति (कवरेज) का प्रबंधन

सार्वभौमिक व्याप्ति (कवरेज) अर्थात जोखिम वाली जनसंख्या को 100% आवरित करना है, जिसे कभी-कभी खरीद और आपूर्ति के मुद्दों के कारण हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में, संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, उपलब्ध भंडार(स्टॉक) की शेष राशि का भी उपयोग किया जाए। संबंधित राज्य सरकार की संस्थाओं(एजेंसियों) को, समुदाय को 100% उपयोग के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र के सभी निवासियों को बिना किसी असफलता के, LLIN का उपयोग करना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा सुचकों(इंडीकेटर्स) का उपयोग करके इसकी निगरानी की जानी चाहिए, जैसे कि कम से कम एक LLIN वाले परिवारों का प्रतिशत, घर के भीतर LLIN तक पहुंच वाली जनसंख्या का प्रतिशत, LLIN के अंदर सोने वाली जनसंख्या का प्रतिशत और LLIN के अंदर सोने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों का अलग से प्रतिशत। समुदाय में सर्वोत्तम प्रभावशीलता के लिए, LLIN के साथ जोखिम वाली जनसंख्या का आवृतक्षेत्र(कवरेज), उच्च उपयोग दर (>80%) के साथ यथासंभव 100% के निकट होना चाहिए। उपयोगकर्ता, मलेरिया नियंत्रण में लंबे समय तक चलने वाले(दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल के साथ सार्वभौमिक व्याप्ति(कवरेज) प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की अनुसंशाओं का संदर्भ ले सकते हैं।.[10]

3.2 अंतिम उपयोगकर्ता/लाभार्थी यानी समुदाय

- सामुदायिक उपयोगकर्ताओं को LLIN का उपयोग करते समय पर्चे(उपयोग के लिए दिशा-निर्देश और उपयोग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को दर्शाते हुए) और आईईसी सामग्री को ध्यान से देखना चाहिए।
- उपयोगकर्ताओं को, वितरण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए, यदि वे किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सामना करते हैं, खासकर पहली बार LLIN का उपयोग करते समय। उपयोगकर्ताओं को LLIN के उपयोग के कारण लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने पर संबंधित ग्राम स्तर या जनपद स्तर के अधिकारियों के ध्यान में लाना आवश्यक है।
- उपयोगकर्ताओं को LLIN के उचित भंडारण और धुलाई के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसके लिए, वितरण के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को LLIN के तीन साल के जीवनकाल को पूरा करने के पश्चात, सुरक्षित रूप से रखना आवश्यक है और वे इसे सादे जाल के रूप में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कीटनाशक सामग्री धुल गई(नष्ट हो गई) होगी।

एलएलआईएन के उपयोग के लिए विशिष्ट मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में समुदाय द्वारा समर्थित और/या निगरानी की जा सकने वाली विभिन्न गतिविधियां हैं:

- मानदंडों के अनुसार बिस्तर जाली (बेड नेट) का समान वितरण सुनिश्चित करना
- प्राप्तकर्ताओं द्वारा उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उनकए द्वारा बिस्तर जाली(बेड नेट) की बिक्री को रोकना
- किसी भी दुराचार(भ्रष्टाचार) के संबंध में उपयुक्त अधिकारियों को सचेत करना

DO NOT PRINT

10 WHO recommendations for achieving universal coverage with long-lasting insecticidal nets in malaria control, September 2013 (revised March 2014 and 2017) (https://www.who.int/docs/default-source/malaria/mpac-documentation/mpac-oct2017-draft-updated-recommendations-universal-llin-coverage-session9.pdf?sfvrsn=5af603e8_2)

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I: भारत में नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण अनुमोदन/मंजूरी की सूची

यह सूची नीचे दिए गए लिंक पर प्रदान की गई है: https://dipp.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf [अंतिम अभिगमन किया गया: 10 May 2022]

आवश्यक स्वीकृतियां/मंजूरी	जिस विभाग से संपर्क और परामर्श किया जाना है
व्यापार/व्यवसाय पंजीकरण	
कंपनी का निगमन	कंपनी के पंजीयक
राज्य में एक इकाई शुरू करना/पंजीकरण करना	
पंजीकरण/आईईएम/औद्योगिक अनुज्ञापन(लाइसेंस)	लघु उद्योग के लिए जिला उद्योग केंद्र (SSI) / बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक सहायता सचिवालय (SIA)
वित्त/ पूंजी लगाना	i. सावधि ऋण के लिए राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम ii. 1.5 करोड (15 मिलियन) रुपये से अधिक के ऋण के लिए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (ICICI), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) आदि।
प्रवर्तन में लाने के पुर्व के चरण	
भूमि अधिग्रहण	राज्य उद्योग निदेशालय (DI)/राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC)/अवसंरचना निगम/लघु उद्योग विकास निगम (SSIDC)
भूमि उपयोग की अनुमति (यदि उद्योग किसी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थित है))	राज्य डीआई/स्थानीय प्राधिकारी/जिला कलेक्टर
उत्थापक(लिफ्ट) और एस्केलेटर(चलती सिढी) के लिए स्वीकृति	राज्य स्थानीय प्राधिकरण
भवन योजना अनुमोदन	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय
पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंजूरी	परियोजना श्रेणी के आधार पर, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) या एमओईएफऔरसीसी, भारत सरकार
जल और वायु अधिनियम के तहत स्थापना (एनओसी) की सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल(बोर्ड)
फैक्टरी रूपरेखा योजना अनुमोदन	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
भट्ठी(बॉयलरों) का पंजीकरण	राज्य बॉयलर विभाग
भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू), 1996 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण
अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकरण	राज्य श्रम विभाग या अधिकृत राज्य प्राधिकरण

DO NOT PRINT

प्रवर्तन में लाने के पश्चात के चरण	
खतरनाक अपशिष्ट के लिए प्राधिकरण	खतरनाक अपशिष्ट संग्रहण/ग्रहण/उपचार/परिवहन/भंडारण और निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (बोर्ड) को आवेदन
भवन पूर्णता प्रमाणपत्र	राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण/स्थानीय नोडल प्राधिकरण
अंतिम आग अनुमोदन	राज्य अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण और सीमा शुल्क	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल(बोर्ड)
बिजली	राज्य विद्त वितरण कंपनी
दुकान और स्थापना अधिनियम	राज्य श्रम विभाग
जल जोड़ (कनेक्शन)	एसआईडीसी/राज्य औद्योगिक संवर्धन मंडल(बोर्ड)/सिंचाई विभाग/केंद्रीय भूजल आयोग
कर्मचारी पंजीकरण	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
जीएसटी पंजीकरण	केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जीएसटी ऑनलाइन पोर्टल जीएसटी सेवा केंद्र
आयातक निर्यातक संकेतनाम(कोड)	विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
व्यावसायिक कर पंजीकरण	राज्य कर विभाग
ट्रेडमार्क/ब्रांड पंजीकरण	पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय
संचालन के लिए सहमति	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अनुलग्नक II: केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIB&RC) के संपर्क विवरण

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति
पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
पुराना सीजीओ कॉम्प्लेक्स, एनएच-IV, फरीदाबाद, हरियाणा-121001
वेबसाइट: http://ppqs.gov.in/contactus/central-insecticide-board-and-registration-committee-cibrc

सम्पर्क सूत्र
सचिव CIB&RC
दूरभाष: +91-1292413002/1292476210
ई-मेल: cibsecy@nic.in

DO NOT PRINT

अनुलग्नक III: कीटनाशी नियम 1968 की धारा 9(3) में कहा गया है कि:

किसी कीटनाशक के पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होने पर, समिति ऐसी जांच के बाद जो वह ठीक समझे और स्वयं कि संतुष्टी के पश्चात, जिस कीटनाशक के लिए आवेदन किया गया हो वह, आयातक या निर्माता द्वारा किए गए दावों के अनुरूप है, कीटनाशक की प्रभावकारिता तथा मनुष्यों एवं जानवरों के लिए इसकी सुरक्षा के संबंध में, पंजियक 3 [ऐसी शर्तों पर जो इसके द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं] और निर्धारित फीस के भुगतान पर, कीटनाशक के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर, पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवंटीत करेगा:

बशर्ते कि समिति, यदि उपरोक्त अवधि के भीतर अपने समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, तो अवधि को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा समय के लिए आगे नही बढा सकती।

अनुलग्नक IV: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के संपर्क विवरण

भारतीय मानक ब्यूरो
कमरा नं. 560, मानकालय
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110002
वेबसाइट: https://www.bis.gov.in/

दूरभाष: +91-11-23230131
ईमेल: info@bis.gov.in

अनुलग्नक-V: केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था(सोसाइटी)(CMSS) का संपर्क विवरण

केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय)

दूसरी मंजिल, विश्व युवक केंद्र
पं. उमा शंकर दीक्षित मार्ग,
तीन मूर्ति रोड,
चाणक्यपुरी पुलिस थाने के सामने,
नई दिल्ली-110021
वेबसाइट: www.cmss.gov.in

दूरभाष: +91-11-21410905/6

DO NOT PRINT

अनुलग्नक -VI: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र (NCVBDC) के संपर्क विवरण)

वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
22, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054
(सीमाचिह्न: आईपी कॉलेज, सिविल लाइन्स मेट्रो स्टेशन के पास)

दूरभाष: +91-11-23967745, 23967780
ईमेल: nvbdcp-mohfw@nic.in
वेबसाइट: https://nvbdcp.gov.in/

DO NOT PRINT

संसाधन

1. List of approvals and clearances required for new projects in India provided by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT).
   https://dipp.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf
   [Last Accessed: 10 May 2022]
2. Steps involved in the regulatory process for establishing a production unit in India are available on the following websites.
   https://www.investindia.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
   https://dipp.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
3. Guidelines for minimum infrastructure to be created by the producers of pesticides and their formulations to meet the requirements for the issue of manufacturing license by licensing authority of the respective states.
   http://ppqs.gov.in/sites/default/files/c12011.doc [Last Accessed: 10 May 2022]
4. (Example) Regulatory requirements for establishing a pesticide manufacturing facility in the State of Maharashtra.
   https://maitri.mahaonline.gov.in/ [Last Accessed: 10 May 2022]
5. General guidelines for registration of insecticides under the Insecticides Act, 1968 are given on the website.
   http://ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-ommittee/registration-procedure
   [Last Accessed: 10 May 2022]
6. Guidelines on registration of LLINs under **Section 9(3).**
   http://ppqs.gov.in/sites/default/files/1.142011.doc [Last Accessed: 10 May 2022]
7. Checklist for registration under **Sections 9(3)**.
   http://ppqs.gov.in/divisions/cib-rc/checklist [Last Accessed: 10 May 2022]
8. Good labelling practices for pesticides recommended by World Health Organization (WHO).
   https://www.who.int/publications/i/item/9789241509688 [Last Accessed: 10 May 2022]
9. Recommendations on the Sound Management of Packaging for Long Lasting Insecticidal Nets (LLINs).
   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338356/WHO-HTM-GMP-MPAC-2014.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Last Accessed: 10 May 2022]
10. WHO prequalified vector control products.
    https://extranet.who.int/pqweb/vector-control-products/prequalified-product-list
    [Last Accessed: 10 May 2022]
    Prerequisites for prequalification vector control on the WHO website. https://extranet.who.int/pqweb/vector-control-products [Last Accessed: 10 May 2022]
11. **Plastic Waste Rules, 2016.**
    https://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/168620.pdf
    [Last Accessed: 05 Jan 2022]

DO NOT PRINT

12. **Insecticide Rules, 1971.**
http://ppqs.gov.in/sites/default/files/insecticides_rules_1971.pdf
[Last Accessed: 10 May 2022]

13. Packages containing insecticides shall be packed in accordance with the conditions specified in the Red Tariff, issued by the Ministry of Railways.
https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/Download%20File.pdf
[Last Accessed: 10 May 2022]

14. Latest Standard Operating Procedure for introduction of public health pesticides under NVBDCP.
https://nvbdcp.gov.in/Doc/Final%20Interim%20Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20%20for%20introduction%20of%20public%20health%20pesticides%20including%20biolarvicides%20in%20the%20NVBDCP.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

15. Sample CMSS bidding document.
http://cmss.gov.in/sites/default/files/Tender%20LLIN-1.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

16. **Indian Contract Act, 1872.**
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2187?locale=en [Last Accessed: 10 May 2022]

17. Operation Manual for Malaria Elimination in India 2016.
https://nvbdcp.gov.in/WriteReadData/l892s/52325427215329415 42.pdf [Last Accessed: 10 May 2022]

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT

DO NOT PRINT